महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-01/2020/675(2)/86-2020-1(216)/93

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 23 अप्रैल, 2020

विषयः-ईट-भट्ठो के संचालन पर ईट भट्ठा सत्र 2019-20 के लिए देय विनियमन शुल्क Regulating Fees पर ब्याज की देयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ईट भट्ठा सत्र 2019-20 के लिए विभिन्न श्रेणी के जनपदों के लिए पायेंवार साधारण भट्ठे तथा जिग-जैग भट्ठे के लिए विनियमन शुल्क की धनराशि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2376/86-2019, दिनांक 26.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-7 के अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि दिनांक-31 मार्च 2020 तक जमा की गयी विनियमन शुल्क Regulating Fees की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।

2. उक्त के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कोविड-19 की महामारी होने के कारण प्रदेश में काफी संख्या में ईंट-भट्टा इकाईयों द्वारा संगत भट्ठा वर्ष के लिए विनियमन शुल्क जमा नहीं किया जा सका है। अतः सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक-26.11.2019 के बिन्दु सं0-7 में बिना ब्याज के विनियमन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक-31 मार्च 2020 के स्थान पर दिनांक- 31 मई 2020 निर्धारित किया जाता है। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्याः 675(3)/86-2020, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके संख्या-04 /एम-ईंट-भट्टा /2019-20, दिनांक 17.04.2020 के सन्दर्भ में।
4. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in